

# राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

## मिशन दस्तावेज



भारत सरकार  
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय



एफ. सं. के-14014/1/2013-यूपीए  
भारत सरकार  
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय  
(यूपीए प्रभाग)

निमार्ण भवन, नई दिल्ली  
दिनांक: 13 दिसम्बर, 2013

### कार्यालय ज्ञापन

विषय: राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के अंतर्गत मिशन दस्तावेज के लिए प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के लिए दिशा-निर्देश दिनांक 24 सितंबर, 2013 के का.ज्ञा. सं. के-14011/1/2013-यूपीए के तहत जारी किए जा चुके हैं।

2. एनयूएलएम के घटक मिशन दस्तावेज के लिए प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश संलग्न हैं, जिनका अनुपालन सभी कार्यान्वयन एजेंसियां करेंगी। ये दिशा-निर्देश आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिए गए हैं तथा इसे [http://mhupa.gov.in/NULM\\_Mission/NULM\\_Mission.htm](http://mhupa.gov.in/NULM_Mission/NULM_Mission.htm) से प्राप्त किया जा सकता है।
3. इसे माननीय आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री, भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता./-  
(बी.के. अग्रवाल)  
संयुक्त सचिव, भारत सरकार  
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय





## विषय सूची

1.	प्रस्तावना .....	1-2
2.	मिशन, सिद्धान्त, उपयोगिता, कार्यनीति .....	3-5
3.	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन-मिशन नगर और लक्षित जनसंख्या .....	6
4.	सामाजिक गतिशीलता एवं संस्था विकास (एसएम एंड आईपी) .....	7-9
5.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (सीबी एंड टी) .....	10-11
6.	कौशल प्रशिक्षण तथा नियोजन के माध्यम से रोजगार .....	12-13
7.	स्व-रोजगार कार्यक्रम (एसईपी) .....	14-15
8.	शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता .....	16
9.	वित्त पोषण पद्धति और वित्तीय प्रक्रिया .....	17
10.	शहरी निराश्रितों हेतु आश्रय योजना (एस यू एच) .....	18-19
11.	अभिनंव एवं विशिष्ट परियोजनाएं .....	20
12.	प्रशासन तथा अन्य व्यय (एएंडओई) सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) .....	21
13.	एन.यू.एल.एम. प्रशासन तथा मिशन संरचना .....	22-28
14.	निगरानी और मूल्यांकन .....	29
15.	कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश .....	29
16.	संलग्नक:- राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों की सूची .....	30





## प्रस्तावना

1.1 आर्थिक विकास एवं शहरीकरण में निकट संबद्धता है। देश के आर्थिक विकास के साथ-साथ भारत में भी शहरों की वृद्धि हो रही है। जिनकी सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में 60 प्रतिशत से भी अधिक की भागीदारी है। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत की शहरी आबादी 377 लाख हो चुकी है जो कि 2001 से 31 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी प्रदर्शित करती है। असंगठित क्षेत्रों में काम एवं जीविकोपार्जन के विकास की स्थितियों पर गठित 'राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग' ने अगस्त 2007 में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसके अनुसार 2004-05 में, भारत के समस्त कार्यबल का लगभग 92 प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कार्यरत था। शहरी अनौपचारिक क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा असंगठित गैर कृषि क्षेत्रों से आता है। असंगठित क्षेत्रों के कामगारों में शिक्षा एवं कौशल का निम्न स्तर बढ़ते बाजारों द्वारा उपलब्ध अवसरों के दोहन में उनका बाधक बना हुआ है। यह दर्शाता है कि शहरी क्षेत्रों में आजीविका के बेहतर अवसरों हेतु कौशल उन्नयन कि कितनी सख्त आवश्यकता है।

1.2 अधिकांश गरीब अनौपचारिक क्षेत्रों की गतिविधियों में संलग्न हैं जहां उन्हें सदैव हटाये जाने का एवं वस्तुओं के अधिग्रहण का भय बना रहता है और लगभग न के बराबर सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध होती है। यहां तक कि शहरी आबादी के वे भाग जो कि निम्न आय वाले नहीं होते हैं उन्हें भी स्वच्छ जीवन यापन लायक परिवेश तक पहुँच न होने के कारण अभाव का सामना करना पड़ता है और उनके सुख स्वास्थ्य को पक्षपात, सामाजिक बहिकार, अपराध, हिंसा, असुरक्षित कार्यकाल, खतरनाक पर्यावरणीय परिस्थितियों द्वारा क्षति पहुँचाते हैं एवं शासन में उनकी भागीदारी का अभाव होता है।

1.3 शहरी गरीबी के आयामों को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है। (1) आवासीय विषमताएं- (भूमि, आश्रय, मूलभूत सेवाओं आदि तक पहुंच), (2) सामाजिक विषमताएं- (लिंग, आयु, सामाजिक स्तरण के अभाव के रूप में, शासन प्रणाली में भागीदारी के अभाव के रूप में आदि), (3) उपजीविका संबन्धी विषमताएं- (अनिश्चित आजीविका, रोजगार एवं आय हेतु अनौपचारिक क्षेत्रों पर निर्भरता, रोजगार सुरक्षा की कमी, अपर्याप्त कार्य परिस्थितियां आदि) ये सभी विषमताएं आपस में एक दूसरे से संबद्धत हैं। शहरी गरीबों के मध्य ये उपर्युक्त वर्गीकरण तथ्य ही व्यापक विषमताओं का विषय हैं, इसके अन्तर्गत महिलाओं, बच्चों और वृद्धों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, एवं विकलांग लोग भी सम्मिलित हैं जिन पर अलग से प्राथमिकता के रूप में ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

1.4 राष्ट्रीय आवास एवं पर्यावास नीति 2007 (एन.यू.एच.एच.पी.) का ध्येय, देश में पर्यावासीय स्थायी विकास को इस बात को ध्यान में रखते हुए बढ़ावा देना है कि समाज के सभी वर्गों को भूमि आश्रय और वहन योग्य मूल्यों पर मूलभूत सेवाओं की समरूप आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। इन सभी वर्गों में सबसे वंचित वर्ग शहरी निराश्रितों का है जो बिना किसी आश्रय एवं सामाजिक सुरक्षा के जीवन यापन करते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने नवीनतम आदेशों में यह कह कर शहरी निराश्रितों की दुर्दशा को एक प्रमुख मुद्दा बना दिया है कि आश्रय का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त जीवन के अधिकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए शहरी निराश्रितों के लिए एक नीति एवं कार्यक्रम को विकसित किये जाने की अत्यंत आवश्यकता है।



## राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

1.5 शहरी गरीबी के बहुआयामी होने के कारण शहरों एवं कस्बों में गरीबों को विभिन्न प्रकार की विषमताओं का सामना करना पड़ता है। व्यावसायिक, आवासीय, एवं सामाजिक विषमताओं पर एक साथ समानांतर रूप से व्यापक एवं एकीकृत तरीके से लक्षित विषमतामूलक वर्गों को केन्द्रित करते हुये कार्रवाई करनी होगी ताकि वास्तविक और धरातलीय प्रभाव उत्पन्न हो सकें। आवासीय विषमताओं को जे.एन.एन.यू.आर.एम. और आर.ए.वाई. जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से दूर किया जा सकता है। अन्य दो, व्यावसायिक एवं सामाजिक विषमताओं से, बाजारोन्मुख रोजगार आधारित कौशल विकास तथा स्वरोजगार उद्यमों की स्थापना में मदद प्रदान करके सर्वाधिक प्रभावशाली तरीके से निपटा जा सकता है। शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम को मुख्यतः कौशल विकास एवं ऋण की सहज उपलब्धता आधारित बनाये जाने की आवश्यकता है। इसी सन्दर्भ में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कार्यक्रम के तहत शहरी आजीविका हेतु मिशन-मोड पद्धति को अपनाया जाना आवश्यक बनाया गया है।



## मिशन, सिद्धान्त, मूल्य, रणनीति

### एनयूएलएम मिशन

2.1 गरीबों की सुदृढ़ आधारभूत बुनियादी संस्थाओं के माध्यम से शहरी गरीब परिवारों की गरीबी एवं विषमताओं को लाभकारी स्वरोजगारों एवं कुशल पारिश्रमिक रोजगार के अवसरों तक उनकी पहुंच को सुलभ बनाकर उनकी आजीविका में स्थायी सुधार लाना है। मिशन विभिन्न चरणों में शहरी निराश्रितों को सुसज्जित एवं आवश्यक सेवाओं से युक्त आश्रय उपलब्ध कराने पर ध्यान केन्द्रित करेगा। इसके अतिरिक्त मिशन शहरी पथ विक्रेताओं की आजीविका हेतु उन्हें उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराने, संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने एवं सामाजिक सुरक्षा और कौशल उपलब्ध कराने पर भी ध्यान केन्द्रित करेगा ताकि उनकी पहुंच बढ़ते हुए बाजार तक हो सके।

### मार्गदर्शक सिद्धान्त

2.2 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन(एनयूएलएम)की मूल भावना यह है कि शहरी गरीब उद्यमी होते हैं और उनमें गरीबी से बाहर आने की एक जन्मजात इच्छा होती है। वास्तविक चुनौती उनकी क्षमताओं को पता लगाने की है ताकि सार्थक एवं स्थायी आजीविकाओं का सृजन किया जा सके। शहरी गरीबों को उनकी अपनी संस्थाओं के गठन हेतु प्रोत्साहित करना इस दिशा में पहला कदम होगा। उन्हें एवं उनकी संस्थाओं को पर्याप्त क्षमता प्रदान किये जाने की आवश्यकता होगी ताकि वे बाह्य परिस्थितियों को संभाल सकें, पूँजी प्राप्त कर सकें, अपने कौशल का विस्तार कर सकें, उद्यम लगा सकें, एवं सम्पत्तियां बना कर सकें। इसके लिए निरंतर सावधानी पूर्वक तैयार किये गये सहयोगी कार्यक्रम की आवश्यकता होगी। सामाजिक गतिशीलता, संस्था निर्माण एवं आजीविका संवर्धन को प्रेरित करने हेतु राष्ट्रीय स्तर से लेकर शहर एवं सामुदायिक स्तर तक एक बाह्य, समर्पित एवं संवेदनशील सहयोगी ढांचे की आवश्यकता होगी।

2.3 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का यह विश्वास है कि आजीविका वृद्धि संबन्धी कोई भी कार्यक्रम तभी समयबद्ध रूप से प्रवर्धित किया जा सकता है जबकि वह स्वयं गरीबों एवं उनकी संस्थाओं के माध्यम से चलाया जाये। ऐसी सुदृढ़ संस्थाएं ही गरीबों को स्वयं अपनी मानवीय, व सामाजिक, वित्तीय एवं अन्य सम्पत्तियों का निर्माण करने में सहायक हो सकेंगी। इसी दौरान जबकि वे अपनी संगठनात्मकता, अभिव्यक्ति एवं समझौता शक्ति को बढ़ा रहे होंगे यही प्रक्रिया उन्हें सरकारी एवं गैर सरकारी वर्गों द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे अधिकारों, उपभागों एवं सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनायेगी।

2.4 संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम 1992 के अनुसार शहरी गरीबी उपशमन स्थानीय नगर निकायों का विधि सम्मत कार्य है। इसलिए स्थानीय नगर निकायों को शहरों/कस्बों के शहरी गरीबों से संबंधित सभी मामलों एवं कार्यक्रमों सहित कौशल एवं आजीविका हेतु अग्रणी भूमिका का निर्वहन करना होगा।



## राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

2.5 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का ध्येय, कौशल विकास एवं त्रट्टण सुविधाओं तक शहरी गरीबों की पहुंच को विस्तृत एवं सार्वभौमिक बनाना होगा। इसका प्रयत्न होगा कि कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से बाजार आधारित नौकरियों, स्वरोजगारों तथा पूँजी तक शहरी गरीबों की पहुंच को सुलभ बनाया जाये।

2.6 पथ विक्रेता, शहरी जनसंख्या के अधोभाग का महत्वपूर्ण अंग होते हैं। पथ विक्रिय स्वरोजगार का साधन उपलब्ध कराता है इस प्रकार यह सरकारी हस्तक्षेप के बिना शहरी गरीबी उपशमन का एक प्रमुख साधन है। यह शहरी आपूर्ति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और शहरी क्षेत्रों की आर्थिक विकास प्रक्रिया का आवश्यक भाग होता है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का ध्येय, वर्धित बाजार के अवसरों तक शहरी पथ विक्रेताओं की पहुंच को सुगम बनाने हेतु उन्हें उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराना, संस्थागत त्रट्टण उपलब्ध कराना, सामाजिक सुरक्षा एंव कौशल उपलब्ध कराना होगा।

2.7 शहरों की निरंतरता बनाये रखने में अपने सस्ते श्रम के योगदान के बावजूद शहरी निराश्रित जो कि बिना किसी आश्रय और सामाजिक सुरक्षा के जीवन यापन करते हैं, सर्वाधिक संवेदनशील और असुरक्षित वर्ग हैं। सड़कों पर जीवन यापन, निरंतर जोखिम भरा शारीरिक रूप से कठोर/क्रूर एवं चुनौतीपूर्ण परिवेश में जीवित रहना है। निराश्रित लोगों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों यथा आश्रय, सामाजिक वासों और सामाजिक सुरक्षा आदि से निपटने के लिए एक उपयुक्त नीति की आवश्यकता है। तदनुसार राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से शहरी निराश्रितों को सुसज्जित एवं मूलभूत सेवाओं से परिपूर्ण आश्रय उपलब्ध कराना होगा।

2.8 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का सर्वाधिक बल, संबंधित मंत्रालयों विभागों तथा राज्य सरकारों द्वारा बनायी गयी ऐसी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के साथ अभिसरण होगा जिनका संबन्ध कौशल, आजीविका, उद्यमिता विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक सहयोग से हो। ग्रामीण एंव शहरी गरीबों की आजीविका के मध्य संबन्ध स्थापित करने हेतु ग्रामीण-शहरी प्रवासियों के कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ मिल कर कार्य करने की कार्यनीति अपनाई जायेगी।

2.9 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का लक्ष्य निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और निराश्रितों के आश्रयों के संचालन को बढ़ावा देना होगा। इसके लिए प्रयत्न करना होगा कि निजी एंव नागरिक संस्थाएं शहरी निराश्रितों को आश्रय उपलब्ध कराने में तथा शहरी गरीबों के कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन में सक्रिय भागीदारी निभायें और उन शहरी गरीब उद्यमियों को तकनीकी और विपणन संबन्धी सहायता प्रदान करें जो स्वनियोजित होना चाहते हैं एवं अपना स्वयं का लघु उद्यम अथवा निर्माण इकाई स्थापित करना चाहते हैं।

### **उपयोगिताएं**

2.10 मिशन निम्नलिखित उपयोगिताओं का समर्थन करेगा :

1. प्रत्येक प्रक्रिया में शहरी गरीबों एंव उनकी संस्थाओं की स्वामित्व तथा उपयोगी सहभागिता।
2. कार्यक्रमों के निर्माण एवं कार्यान्वयन सहित संस्था निर्माण एवं क्षमता संवर्धन में पारदर्शिता।



3. सरकारी पदाधिकारियों एवं समुदायों की जवाबदेही।
4. उद्योगों एवं अन्य हितधारकों के साथ भागीदारी।
5. सामुदायिक स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता, स्वयं सहायता और पारस्परिक सहयोग।

### कार्यनीति

2.11. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन निम्नलिखित कार्यनीति अपनायेगा :

- i सुदृढ़ सहयोग के माध्यम से शहरी गरीबों, उनकी संस्थाओं तथा आजीविका विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में शामिल तंत्र की क्षमता का संवर्धन।
- ii शहरी गरीबों के मौजूदा आजीविका विकल्पों का वर्धन एवं विस्तार।
- iii उभरती शहरी अर्थव्यवस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले बाजार-आधारित रोजगार के अवसरों तक पहुंच हेतु कौशल निर्माण।
- iv शहरी गरीबों द्वारा स्वयं के अथवा सामूहिक सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हेतु प्रशिक्षण एवं सहायता।
- v शहरी निराश्रित जनसंख्या हेतु आधारभूत सुविधाओं युक्त जैसे कि जल आपूर्ति, अपशिष्ट निस्तारण व्यवस्था, सुरक्षा एवं संरक्षायुक्त आश्रयों की रात-दिन उपलब्धता एवं उपयोग की गारंटी।
- vi शहरी निराश्रितों के विशिष्ट असुरक्षित वर्गों यथा आश्रित बच्चों, वृद्ध जनों, विकलांगों, विक्षिप्तों और स्वास्थ्य प्राप्त कर रहे लोगों की जरूरतों को पूरा करने हेतु निराश्रित आश्रयों के अन्तर्गत ही विशेष भाग का निर्माण और उनके लिए विशिष्ट सेवाओं हेतु संपर्क साधनों/लिंक की व्यवस्था करना है।
- vii अन्य कार्यक्रमों के साथ ऐसे अधिकार आधारित सुदृढ़ संबन्ध स्थापित करना जिसके तहत शहरी गरीबों के भोजन, चिकित्सा, शिक्षा आदि अधिकारों की पूर्ति की जायेंगी, और ये सुनिश्चित किया जायेगा कि उनकी पहुंच विभिन्न उपभोगों सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आई.सी.डी.एस. आहार कार्यक्रमों, पेयजल, स्वच्छता, पहचान, वित्तीय समावेशन, स्कूली दाखिलों आदि और किफायती आवासों तक हो सके।
- viii शहरी पथ विक्रेताओं की आजीविका से संबंधित बाधाओं के निराकरण हेतु पथ विक्रेताओं को उपयुक्त स्थान संस्थागत ऋण सामाजिक सुरक्षा और कौशल उपलब्ध कराया जायेगा ताकि उनकी पहुंच बढ़ते हुए बाजार से उत्पन्न अवसरों तक हो सके।



## राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन-मिशन नगर और लक्षित जनसंख्या

3.1 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का क्रियान्वयन सभी जिला मुख्यालय शहरों और उन अन्य शहरों में किया जायेगा जिनकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 1,00,000 या उससे ऊपर है। विशेष परिस्थितियों में राज्य की संस्तुति पर अन्य शहरों को भी इसके तहत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

3.2 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का प्राथमिक लक्ष्य शहरी निराश्रित सहित शहरी गरीबों की पहचान हेतु वर्तमान में जारी सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 के आधार पर चल रहा है। तदनुसार, अन्तरिम पैमाने के रूप में, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा अनिहित शहरों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या ही राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का मुख्य लक्ष्य होगी। इस का विस्तार उपर्युक्त चिन्हित शहरी जनसंख्या के अधिकतम 25 प्रतिशत तक, विभिन्न वंचित-समूहों के परिवारों, यथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, विकलांगों आदि को, सम्मिलित करके किया जा सकेगा।



## सामाजिक गतिशीलता एंव संस्था विकास ( एसएमएण्डआईडी )

4.1 एक प्रभावशाली और स्थायी गरीबी उपशमन कार्यक्रम हेतु शहरी गरीब परिवारों को स्वनिर्मित संस्थाओं की स्थापना हेतु प्रेरित किया जाना एक महत्वपूर्ण निवेश होगा। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शहरी गरीबों के, स्व-सहायता समूहों और उनके संघों के रूप में सार्वभौमिक सामाजिक संगठन पर जोर देता है। एक समयबद्ध सीमा के अन्तर्गत प्रत्येक शहरी गरीब परिवार के कम से कम एक सदस्य को अधिमानतः महिला को स्वयं सहायता समूह तंत्र में शामिल किया जायेगा। ये समूह निर्धन लोगों की वित्तीय एंव सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहायक साधन प्रणाली के रूप में कार्य करेंगे। सामान्यतः महिला स्वयं सहायता समूहों का निर्माण किया जायेगा तथापि विकलांग पुरुष के स्वयं सहायता समूहों के निर्माण हेतु अनुमति दी जाएगी।

4.2 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन नगरीय जनसंख्या के विषमतामूलक एंव असुरक्षित वर्गों जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों, महिला मुखिया परिवारों, विकलांगों, बेसहारा, आश्रयहीनों, प्रवासी मजदूरों और विशेष रूप से वंचित व्यवसायिक वर्गों यथा पथ विक्रेताओं, कूड़ा संग्राहकों, घरेलू कामगारों, भिखारियों एंव निर्माण श्रमिकों आदि के संगठन पर विशेष बल देगा।

4.3 स्लम/वार्ड स्तर पर स्व-सहायता समूहों को संगठित कर क्षेत्र स्तरीय संघों (ए.एल.एफ.) का गठन किया जायेगा। इन क्षेत्र स्तरीय संघों को नगर स्तर पर पुनः संघबद्ध करके नगर स्तरीय संघों (सीएलएफ) के रूप में संगठित किया जायेगा। एसजेएसआरवाई के तहत गठित वर्तमान संस्थाओं यथा पड़ोस समूह (एन.एच.जी.) सामुदायिक विकास संगठन (सी.डी.एस.) आदि को इस प्रक्रिया के तहत सहजता से स्वयं सहायता समूह आधारित संस्थाओं में परिवर्तित किया जा सकेगा। क्षेत्र स्तरीय और नगर स्तरीय संघ पंजीकृत अंग होंगे।

### उपघटक-सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण: स्व- सहायता समूह और उनके संघ

4.4 स्व- सहायता समूहों और उनके संघों के निर्माण के उत्प्रेरण तथा उनके सदस्यों के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्रोत संगठनों (आरओ) को सम्बद्ध किया जायेगा जो स्व-सहायता समूहों के निर्माण एंव उनके विकास और बैंक संपर्कों, क्षेत्रीय एंव नगर स्तर पर उनके संघों के निर्माण, प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन हेतु सुविधाएं प्रदान करेंगे, साथ ही ये स्थानीय नगर निकायों के साथ संबंध स्थापित कर सामाजिक, व्यावसायिक एंव आवासीय विषमताओं को कम करने में सहयोग प्रदान करेंगे।

4.5 स्रोत संगठनों के रूप में उन्हें प्राधिमिकता दी जायेगी जिन्हें राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा स्वायत्तशासी पंजीकृत एजेंसियों के रूप में गठित किया गया हो अथवा सुस्थापित, दीर्घकालीक स्व-सहायता समूहों के ऐसे संघ जिन्हें वृहद स्तर पर समुदाय चालित कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का विशेष अनुभव प्राप्त हो, और शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक संगठन और संस्था निर्माण की सफल रणनीति के क्रियान्वयन का अनुभव प्राप्त हो।

4.6 इसके अतिरिक्त गैर सरकारी संगठनों को भी स्रोत संगठनों के रूप में चुना जा सकेगा, जिसके कठोर मानकों के अन्तर्गत संस्था के पंजीकरण की हैसियत, टर्नओवर, अनुभव वर्गों, सुदृढ़ अधिप्राप्तियों, वित्तीय प्रबंधन क्षमता, समर्पित विशेषज्ञ कार्यकर्ताओं की संख्या, कार्यज्ञान, निर्धन परिवारों के सामाजिक संगठनों का पूर्व अनुभव, सामुदायिक संगठनों का प्रशिक्षण एंव क्षमता संवर्धन, आजीविका वर्धन और बैंक सम्पर्कों की संवीक्षा की जायेगी।



4.7 प्रत्येक स्वयं सहायता समूह के निर्माण, द्विवार्षिक सहायता, सभी सदस्यों के प्रशिक्षण, बैंक सम्पर्कों, संघों के निर्माण एवं अन्य गतिविधियों के लिए अधिकतम 10,000/- रु तक खर्च किये जा सकेंगे। राज्यों से यह आशा की गई है कि वे स्रोत संगठनों के साथ समझौते के तहत कार्य करेंगे और आवर्ती कोष सहित खर्चों का भुगतान निम्नलिखित मानकों यथा स्व-सहायता समूह निर्माण, सदस्यों के प्रशिक्षण, बैंक सम्पर्कों, क्षेत्रीय एवं नगर स्तर पर संघों के निर्माण और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत उपलब्ध लाभों तक पहुंच आदि, के आधार पर किया जायेगा। स्रोत संगठन स्व-सहायता समूहों को द्वे वर्गों तक सहयोग व सहायता प्रदान करेंगे।

4.8 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत केन्द्र तथा राज्य सरकारें द्वारा संचालित कर्मियों विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं में सामुदायिक स्तर पर कार्यरत सेवकों/प्राधिकारियों और आशा/आंगनबाड़ी कर्मियों<sup>1</sup>, की सेवाएं भी जमीनी स्तर पर स्व-सहायता समूहों को स्थापित करने के लिए ली जा सकेंगी।

#### **उप-घटक - सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन**

4.9 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का लक्ष्य, शहरी गरीबों एवं उनकी संस्थाओं के सामान्य बचत खाते खुलवाकर, वित्तीय साक्षरता, ऋण, किफायती एवं सुलभ बीमा योजनायें, प्रेषण सुविधाएं आदि उपलब्ध करवाकर सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन को प्राप्त करना है। इसके तहत वित्तीय संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर शहरी गरीबों के लाभ हेतु सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी आधारित तकनीकी, वित्त परामर्शदाताओं तथा सामुदायिक सेवा प्रदाताओं यथा बैंक मित्र और बीमा मित्र के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत विशेष तौर पर शहरी गरीब परिवारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जनश्री बीमा योजना एवं इनके समान योजनाओं के अन्तर्गत लाने की सुविधा प्रदान की जायेगी।

#### **उप-घटक - स्वयं सहायता समूहों और उनके संघों को आवर्ती निधि सहयोग**

4.10 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का प्रयत्न होगा कि बचत एवं ऋण(टी एंड सी), कार्यात्मक साक्षरता और बुनियादी कौशल प्रशिक्षण स्व-सहायता समूहों के कार्य कलापों के मुख्य त्रयी बन सकें। इसके तहत 70 प्रतिशत से अधिक शहरी गरीब सदस्यों वाले उन स्व-सहायता समूहों को 10,000/- रु तक की एकल सहायता आवर्ती के माध्यम से प्रदान की जायेगी जिन्होंने पूर्व में इस मदद को उपयोग न किया हो। आवर्ती निधि केवल उन्हीं स्वयं सहायता समूहों को दी जायेगी जो कम से कम पिछले छः माह से बचत एवं ऋण आधारित गतिविधियों को संचालित कर रहे होंगे।

4.11 पंजीकृत क्षेत्र स्तरीय संघों (एएलएफ) को इनके कार्यकलापों की निरंतरता बनाये रखने हेतु इस आवर्ती से रु 50,000/- तक की सहायता उपलब्ध होगी।

#### **उप-घटक - नगर आजीविका केन्द्र (सीएलसी)**

4.12 नगर आजीविका केन्द्र (सीएलसी) का प्रमुख उद्देश्य शहरी गरीबों को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना है जहां से वे अपनी सेवाओं का प्रचार कर सकें, सूचनाएं एवं अन्य लाभों की प्राप्ति कर सकें। नगर आजीविका केन्द्र उन लोगों के लिए बन स्टॉप शाप (समग्र सेवा केन्द्र) का कार्य करेंगे जो अनौपचारिक क्षेत्रों की सेवाएं प्राप्त करना चाहते हैं, साथ ही साथ ये केन्द्र शहरी गरीबों के उत्पादों एवं सेवाओं के प्रचार माध्यम भी होंगे।



4.13 नगर आजीविका केन्द्र उन लोगों के लिए स्रोत केन्द्रों का भी कार्य करेंगे जो रोजगार एंव कौशल प्रशिक्षण अवसरों आदि की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। ये केन्द्र गरीबों को बाजार मांग संबंधी, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों और नियोजन अवसरों से संबंधित जानकारी प्रदान करेंगे। आजीविका केन्द्र उन लोगों को आवश्यक निर्देश, परामर्श एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध करायेंगे जो कौशल प्रशिक्षण, सबेतन रोजगार अथवा स्थायी स्वरोजगार उद्यम स्थापित करना चाहते हैं।

4.14 नगर आजीविका केन्द्रों (सीएलसी) की स्थापना हेतु स्वीकार्य मानक निम्नलिखित होंगे:-

नगर की जनसंख्या	स्थापित किए जाने वाले आजीविका केन्द्रों की अधिकतम संख्या
1-3 लाख के मध्य	1
3-5 लाख के मध्य	2
5-10 लाख के मध्य	3
10 लाख से अधिक	8
1 लाख से कम जनसंख्या वाले जिला मुख्यालय शहर	1

4.15 प्रत्येक आजीविका केन्द्र को 10 लाख रूपये तक का "असंबद्ध वित्त," प्राप्त उपलब्धियों के अनुरूप किसी में प्रदान किया जायेगा। इस राशि का उपयोग कॉरपस फण्ड, बुनियादी प्रशिक्षण सुविधाओं और उपकरणों जैसे कम्प्यूटर, उत्पाद प्रदर्शन स्थल, फर्नीचर, किराया (जहां पर भवन उपलब्ध नहीं हैं) टेलीफोन, एंव अन्य परिचालन संबंधी व्ययों, अनुबंध आधार पर कर्मचारी सहयोग आदि हेतु किया जा सकेगा। इन केन्द्रों का संचालन राजस्व सृजन एंव आत्मनिर्भरता के आदर्श पर किया जायेगा। राज्य/स्थानीय नगर निकाय अपने स्वयं के स्रोतों द्वारा इन केन्द्रों को अतिरिक्त सहायता दिये जाने पर विचार कर सकेंगे।

4.16 इन केन्द्रों की स्थापना एंव संचालन सार्वजनिक निजी सामुदायिक भागीदारी आधारित (पीपीसीपी) एजेन्सियों यथा नगर स्तरीय संघों/स्वयं सहायता समूहों/गैर सरकारी संगठनों/सामुदायिक संगठनों/स्रोत केन्द्रों/निजी क्षेत्र के संगठनों के माध्यम से किया जायेगा।

### उप-घटक - स्वयं सहायता समूहों और उनके संघों हेतु प्रशिक्षण एंव अन्य क्षमता निर्माण कार्यक्रम

4.17 इस घटक का उपयोग, स्वयं सहायता समूहों एंव उनके संघों को, विभिन्न तथ्यों जैसे कि बैंक सम्पर्कों, दस्तावेजों और लेखा बही खातों के प्रबंधन, सूक्ष्म योजनाओं, सूक्ष्म निवेश प्रक्रिया, सदस्यों की भूमिका और दायित्वों आदि से संबंधित समस्याओं पर प्रशिक्षण देने एंव क्षमता संवर्धन हेतु किया जायेगा, इस घटक का क्रियान्वयन विभिन्न स्तरों पर राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय अथवा नगर स्तरीय स्रोत केन्द्रों के साथ-साथ नागरिक सामाजिक संगठनों और विभिन्न मिशन प्रबंधन इकाईयों के माध्यम से किया जायेगा।

4.18 क्षेत्र एंव नगर स्तरीय संघों के सदस्यों की क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण हेतु केन्द्र/राज्य नगर स्तर पर प्रति प्रशिक्षु खर्च की जा सकने वाली अधिकतम धनराशि 7500 रूपये होगी। इस राशि के कुछ भाग का उपयोग समुदाय से समुदाय आधारित शिक्षण हेतु तथा स्वयं सहायता समूहों तथा उनके संघों और कार्यक्रमों से संबंधित लोगों के शैक्षक भ्रमण के लिए भी किया जा सकेगा।



## क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम ( सीबी एंड टी )

5.1 क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय और राज्य एजेन्सियों की भूमिका को शहरी गरीबी उपशमन के परिप्रेक्ष्य में उच्च गुणवत्तायुक्त तकनीकी सहायता प्रदाता के रूप में परिवर्तित करना है ताकि वे शहरी आजीविका के संवर्धन और शहरी गरीबी उपशमन में सहायता प्रदान कर सकें।

### उप-घटक - राष्ट्रीय, राज्य और नगर स्तर पर तकनीकी सहायता

5.2 इस उपघटक का उद्देश्य केन्द्र, राज्य एवं नगर स्तर पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के क्रियान्वयन हेतु समय पर उच्च गुणवत्तायुक्त तकनीकी सहायता का प्रबंध करना है।

5.3 केन्द्र में एक राष्ट्रीय प्रबंधन इकाई (एनएमएमयू) की स्थापना की जायेगी जिसके तहत राज्यों तथा शहरों को राज्य मिशन प्रबंधन इकाई और नगर मिशन प्रबंधन इकाई की स्थापना हेतु उच्च गुणवत्ता वाले पेशेवर, आजीविका एवं योजना प्रबंधक, विकासमान सक्षम संस्थानिक प्रणाली यथा मानव स्रोत, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस), वित्त प्रबंधन, अधिप्राप्तियाँ और सामाजिक प्रबंधन आदि उपलब्ध कराये जायेंगे। राज्यों एवं नगरों को तकनीकी सहायता भी उपलब्ध करायी जायेगी ताकि वे विशिष्ट विश्लेषण के द्वारा नगरीय गरीबी के विभिन्न आयामों को समझ सकें। इससे राज्यों को राज्य/नगरीय गरीबी उपशमन कार्ययोजना बनाते समय उनके विभिन्न आयामों और स्रोतों के निर्धारण हेतु प्राथमिकता तय करने में मदद मिलेगी। राज्यों/नगरों/कस्बों को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उद्देश्य प्राप्त करने हेतु प्रत्येक स्तर पर योजना विशिष्ट के अनुरूप विशिष्ट तकनीकी सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए आवश्यक धनराशि का आवंटन केन्द्रीय स्तर पर मिशन निदेशालय को किया जायेगा और राज्य मिशन प्रबंध इकाईयों (एसएमएमयू) तथा नगर प्रबंधन इकाईयों (एसीएमएमयू) हेतु आवंटन राज्य मिशन को किया जायेगा।

5.4 मिशन प्रबंध इकाईयों (एमएमयू) की स्थापना केन्द्र एवं राज्यों में की जायेगी और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत मिशन शहरों हेतु निन्नलिखित समर्पित तकनीकी सहायक होंगे।

मिशन प्रबंध इकाई	प्रति इकाई तकनीकी कर्मचारियों की संख्या
राष्ट्रीय मिशन प्रबंध इकाई	10
राज्य मिशन प्रबंध इकाई - बड़े राज्य	6
राज्य मिशन प्रबंध इकाई - छोटे राज्य	4
नगर मिशन प्रबंध इकाई- जिला मुख्यालय '1 लाख से कम जनसंख्या' शहर और छोटे कस्बे (एक लाख से तीन लाख के बीच की आबादी वाले)	2



नगर मिशन प्रबंध इकाई - मझौले कस्बे (3 से 5 लाख की आबादी वाले)	3
नगर मिशन प्रबंध इकाई बड़े कस्बे (पांच लाख से अधिक आबादी वाले)	4
सामुदायिक संगठनकर्ता	प्रति 3000 परिवारों पर एक सामुदायिक संगठनकर्ता

बड़े और छोटे राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों की सूची संलग्नक में उपलब्ध है।

5.5 राज्य मिशन प्रबंधन इकाई और नगर प्रबंधन इकाईयों हेतु सहायता राशि केवल पांच वर्गों के लिए ही उपलब्ध होगी। यह उम्मीद की जा रही है कि इन अवधि के दौरान राज्य अपने नगर निकायों के ऐसे कैडर/संवर्ग बना लेंगे जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और अन्य शहरी गरीबी उपशमन योजनाओं के स्थाई क्रियान्वयन में सक्षम होंगे।

### उप-घटक-मिशन प्रबंधन इकाईयों के लिए प्रशिक्षण एवं अन्य क्षमता निर्माण कार्यक्रम

5.6 इस घटक का उपयोग राष्ट्रीय, राज्य और नगर स्तर पर मिशन प्रबंधन इकाईयों के तकनीकी संसाधक व्यक्तियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण हेतु किया जायेगा। घटक का क्रियान्वयन राष्ट्रीय, राज्य और नगर स्रोत केन्द्रों/एजेन्सियों सहित नागरिक सामाजिक संगठनों और मिशन प्रबंधन इकाईयों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर किया जायेगा। केन्द्र/राज्य/नगर स्तर पर क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण पर प्रति प्रशिक्षु अधिकतम व्यय की जा सकने वाली राशि 7500 रुपये होगी। इस राशि के कुछ भाग का उपयोग समुदाय से समुदाय आधारित शिक्षण हेतु और मिशन प्रबंधन इकाईयों तथा कार्यक्रम से संबंधित व्यक्तियों के कौशल/ज्ञानवर्धन भ्रमण हेतु किया जा सकेगा। दिशा निर्देशानुसार प्रशिक्षण देने के लिए स्रोत केन्द्रों/संस्थाओं/एजेन्सियों का चयन एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा।



## कौशल प्रशिक्षण एंव नियोजन के माध्यम से रोजगार (ईएसटीएंडपी)

6.1 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का यह घटक मुख्यतः शहरी गरीबों के कौशल उन्नयन हेतु सहायता प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित करेगा ताकि वे स्वरोजगार एवं वैतनिक रोजगारों हेतु अपनी क्षमता का विस्तार कर सकें। कौशल प्रशिक्षण एंव नियोजन के माध्यम से रोजगार की मंशा, शहरी गरीबों को बाजार जनित कौशल की मांगानुरूप प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है ताकि वे अपने लिए स्वरोजगार उद्यम स्थापित कर सकें और स्थायी वैतनिक रोजगार पा सकें। कौशल प्रशिक्षण एंव नियोजन के माध्यम से रोजगार के लिए यह घटक मुख्यतः ऐसे शहरी गरीबों को लक्षित करेगा जो व्यावसायिक विषमताओं के शिकार हैं। इसके लिए लाभार्थियों की कोई अधिकतम या न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। इसके अन्तर्गत लाभार्थियों में महिलाओं का प्रतिशत 30 से कम नहीं होना चाहिए। शहरी गरीबों की आबादी में अपनी संख्या के अनुपात में ही अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को लाभान्वित किया जायेगा। विकलांग/अन्य रूप के सक्षम वर्ग के लिए अलग से 3 प्रतिशत के आरक्षण का विशेष प्रावधान किया जायेगा। प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण सम्बन्धी 15 सूची कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यक समुदाय हेतु इसके तहत कम से कम 15 प्रतिशत वास्तविक एवं वितीय लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं। इन सबके अतिरिक्त इसके अंतर्गत भिखारियों, कूड़ा बीनने वालों, निर्माण मजदूरों, बेसहारा, आश्रयहीनों आदि जैसे असुरक्षित वर्गों के कौशल उन्नयन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

6.2 कौशल प्रशिक्षण को मान्यता एवं प्रमाणन से संबद्ध किया जायेगा जो विशेषतः सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) प्रक्रिया पर आधारित होगा। इसके लिए प्रतिष्ठित संस्थानों यथा आई.आई.टी. पालीटेक्निक, एन.आई.टी. उद्योग संघ, इंजीनियरिंग कालेजों, प्रबंधन संस्थानों, कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों, एन.एस.डी.सी. एवं अन्य नामचीन प्रतिठित सरकारी, निजी अथवा नागरिक संस्थाओं का चयन एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत उनकी ब्रांड छवि एवं प्रशिक्षण की गुणवत्ता के आधार पर किया जायेगा।

6.3 इसके अन्तर्गत प्रति लाभार्थी लागत 15000 रूपये से अधिक नहीं होगी। (पूर्वोत्तर तथा विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों हेतु 18000 रूपये) जिसमें प्रशिक्षण लागत, प्रशिक्षु प्रोत्साहन, चयन, परामर्श, सामग्री, प्रशिक्षक भत्ता, प्रमाणीकरण, टूलकिट और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा व्यय किये गये अतिरिक्त खर्चों सहित लघु/सूक्ष्म उद्यम विकास/नियोजन संबंधी व्यय भी शामिल होंगे। यदि प्रशिक्षण लागत इस योजना के तहत निर्धारित प्रति प्रशिक्षु लागत से अधिक होगी तो उस अतिरिक्त व्यय को राज्य सरकार अथवा लाभार्थी द्वारा वहन किया जायेगा।

6.4 इस भुगतान के एक अंश का उपयोग सूक्ष्म उद्यम की स्थापना और कम से कम छः मास तक उसके संतोषजनक प्रदर्शन करने वालों अथवा नियोजित रोजगार में कम से कम छः मास तक बने रहने वालों के लिये किया जायेगा।

6.5 कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संगठन/एजेन्सियों को लाभार्थियों की पहचान, परामर्श, प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण एवं नियोजन हेतु प्रतिठित संस्थानों, प्रमाणीकरण संस्थानों, उद्योगों, स्व-सहायता समूहों एवं उनके संघों सहित स्थानीय नगर निकायों के अन्तर्गत कार्यरत नगर आजीविका केन्द्रों के साथ मिलकर कार्य करना होगा। रोजगारोन्मुख कौशल



प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने वाले कौशल प्रशिक्षण प्रदाता (एसटीपी) कम से कम 50 प्रतिशत लाभार्थियों के लाभकारी नियोजन हेतु उत्तरदायी होंगे या जैसा कि राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण सुनिश्चित करे।

6.6 स्थानीय विविधताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के अनुरूप आवश्यक कौशलों का निर्धारण करेंगे। गहन तकनीकी कौशल प्रशिक्षण के अलावा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यावहारिक कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया जायेगा, जिसके तहत अंग्रेजी/राष्ट्रीय/राजकीय भाषाओं के बोलचाल, वित्तीय साक्षरता, कम्प्यूटर साक्षरता, व्यावहारिक कौशल यथा कार्यालयी और सामाजिक शिटाचार का प्रशिक्षण भी शामिल है। राज्यों द्वारा कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ अनुबंध करते समय इस संबंध में उपयुक्त व्यौरे प्रदर्शित करने चाहिये।

6.7 प्रशिक्षण के भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न कालावधि सहित नियोजन/प्रमाणीकरण हेतु व्यय के संबंध में संबंधित केन्द्रीय/राज्य/नगर स्तरीय मिशन प्रबंधन इकाईयों द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशानुसार कार्ययोजना तैयार की जायेगी।



## स्वरोजगार कार्यक्रम (एसईपी)

### उप-घटक - स्वरोजगार-व्यक्तिक एवं समूह उद्यम

7.1 यह घटक मुख्य रूप से शहरी गरीबों के व्यक्तिक/समूह द्वारा स्थापित किये जाने वाले ऐसे लाभकारी उपक्रमों/सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित करेगा जो उनके कौशलों, प्रशिक्षण, रुझान तथा स्थानीय परिवेश के अनुकूल हों। इसके अन्तर्गत अल्प रोजगार और बेरोजगार गरीबों को, ऐसे लघु उद्यम लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा जिनका संबंध स्थानीय मांगानुरूप उत्पादनों, सेवाओं और छोटे व्यवसायों से हो। स्थानीय कौशल एवं स्थानीय शिल्प को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जायेगा। प्रत्येक शहर/कस्बा अपनी गतिविधियों/योजनाओं को ध्यान में रखते हुये उपलब्ध कौशलों, उत्पादों की बिक्री, लागत, आर्थिक व्यवहार्यता आदि से सम्बंधित सूचनाओं का विस्तृत विवरण तैयार करेगा। लाभार्थियों के चयन हेतु स्वरोजगार कार्यक्रम में किसी प्रकार की अधिकतम या न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं निर्धारित की गई है। स्वरोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत महिला लाभार्थियों की संख्या कम से कम 30 प्रतिशत अवश्य होनी चाहिए। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों को शहरी गरीब जनसंख्या में उनकी संख्या के अनुपातानुसार ही लाभान्वित किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत विकलांग/अन्य रूप से सक्षम लोगों के लिए 3 प्रतिशत के विशेष आरक्षण का प्रावधान किया जायेगा। प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण संबंधी 15 सूत्री कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इस घटक के अन्तर्गत कम से कम 15 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अल्पसंख्यक समुदाय हेतु निर्धारित किये गये हैं।

7.2 इस घटक के अन्तर्गत व्यक्तिक तथा समूह दोनों ही प्रकार के लघु उद्यमों की स्थापना हेतु सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजनाओं की अधिकतम लागत व्यक्तिक उद्यमों के लिए 2 लाख रूपये तक तथा समूह उद्यमों हेतु 10 लाख रूपये तक होगी। व्यक्तिक तथा समूह दोनों को ही बैंकों से ऋण दिलवाया जायेगा और बेहतर होगा कि ऐसे समस्त ऋण आवेदनों को स्वयं सहायता समूहों द्वारा अनुशंसित किया जाये।

7.3 व्यक्तिक अथवा समूह उद्यमों की स्थापना हेतु ब्याज सब्सिडी/अनुदान ऐसे सभी बैंक ऋणों पर उपलब्ध होगी जिनकी ब्याज दर 7 प्रतिशत के अतिरिक्त होगी। लघु उद्यम की परिसम्पत्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य आनुषंगिक प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं होगी।

### उप-घटक - स्वयं सहायता समूह-बैंक सम्पर्क

7.4 समस्त स्वयं सहायता समूहों को, जो बैंकों से ऋण लेंगे 7 प्रतिशत के अतिरिक्त ब्याज वाले ऋणों पर सब्सिडी प्रदान की जायेगी। सभी शहरों में 3 प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी उन सभी महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रदान की जायेगी जो अपने ऋण की अदायगी समय से करेंगे।

7.5 ब्याज सब्सिडी लाभार्थियों द्वारा ऋण की समय से अदायगी के विषयाधीन होगी। इस सम्बन्ध में बैंकों से उपयुक्त प्रमाण लिये जायेंगे। लागू ब्याज दरों एवं 7 प्रतिशत की निर्धारित मानक दरों के अंतर को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत सीधे बैंकों को सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।



### उप-घटक - उद्यम विकास हेतु क्रेडिट कार्ड

7.6 इस घटक के तहत यह प्रयत्न किये जायेंगे कि प्रत्येक लाभार्थी को कार्यशील पूँजी एवं अन्य प्रयोजनों हेतु क्रेडिट कार्ड उपलब्ध हो।

### उप-घटक - प्रौद्योगिकी, विपणन एवं अन्य सहयोग

7.7 सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने वाले लाभार्थियों को राज्य/शहरों द्वारा, लागत अधिप्राप्तियों, उत्पादन, पैकेजिंग ब्रांडिंग/छवि निर्माण, मार्केटिंग आदि से सम्बंधित प्रौद्योगिकी तथा विपणन परामर्श एवं अन्य सहयोग भी उपलब्ध कराये जायेंगे। इसी के तहत गरीब पथ विक्रेताओं के लिये, जहां एक तरफ नगर निकाय के मैदानों या सड़कों के किनारे कियोस्क, रेहड़ी बाजारों, साप्ताहिक बाजारों/मेला बाजारों, संध्या बाजारों हेतु विक्रय स्थल उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी वहीं दूसरी तरफ उन्हें बाजार संभाव्यता सर्वेक्षण, लागत अधिप्राप्तियों, संयुक्त ब्रांड नाम/डिजाइनिंग/विज्ञापन एवं विपणन आदि से संबंधित तकनीकी सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।



## शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता

8.1 इस घटक का लक्ष्य पथ विक्रेताओं के कौशल एवं सूक्ष्म उद्यम विकास में सहयोग तथा ऋण उपलब्धता और नगर नियोजन सहित असुरक्षित समूहों यथा महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों को सहयोगी सामाजिक सुरक्षा के विकल्प उपलब्ध कराना होगा। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की कुल बजट राशि का लगभग 5 प्रतिशत हिस्सा इस घटक पर खर्च किया जायेगा।

### उप-घटक - विक्रय परक नगर नियोजन

8.2 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत राज्य तथा शहरों द्वारा पंजीकृत एवं अपंजीकृत पथ विक्रेताओं के संबंध में क्रमिक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराया जायेगा और पथ विक्रेताओं को पहचान पत्र जारी किये जायेंगे। प्रत्येक शहर में पथ विक्रेताओं के आंकड़ों का संग्रह/डाटाबेस तैयार एवं अनुरक्षित किया जायेगा। इससे राज्य/शहरी स्थानीय निकाय विक्रय परक नगर नियोजन करने और पथ विक्रय के लिए जगह उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

### उप-घटक - पथ विक्रेताओं के कौशल विकास तथा सूक्ष्म उद्यम विकास हेतु सहयोग

8.3 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में गरीब तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर पथ विक्रेता एन.यू.एल.एम. के घटक, कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन के माध्यम से रोजगार (ईएसटीएंडपी) कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु उद्यम विकास हेतु सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

### उप-घटक - पथ विक्रेताओं की ऋण सामर्थ्यता

8.4 पथ विक्रेताओं को सामान्य बैंकिंग सेवाओं के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। प्रत्येक लाभार्थी को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा ताकि पथ विक्रेताओं को कार्यशील पूँजी व अन्य प्रयोजनों हेतु धन उपलब्ध हो सके।

### उप-घटक - विक्रेता बाजारों का विकास

8.5 विक्रेता बाजारों/विक्रेता क्षेत्रों/अनौपचारिक बाजारों का विकास, शहरी विक्रेता योजना के अनुरूप मूलभूत अवस्थापनाओं/नागरिक सुविधाओं यथा खंडजा बिछाना, जलापूर्ति, अपशिष्ट निस्तारण सुविधा, प्रकाश, भण्डारण स्थान, पार्किंग सुविधा आदि सहित किया जायेगा।

### उप-घटक - सामाजिक सुरक्षा का अभिसरण

8.6 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत पथ विक्रेताओं की भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं (यथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना), राज्य स्तरीय और नगर स्तरीय सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक सहयोग की योजनाओं तक पहुंच बनाकर उन्हें सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न लाभ उपलब्ध कराना है।



## वित्त पोषण पद्धति और वित्तीय प्रक्रिया

9.1 मिशन के वित्तपोषण की केन्द्र तथा राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के मध्य निम्नलिखित रूप से हिस्सेदारी की जायेगी:

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	केन्द्रीय अंश (प्रतिशत)	राज्य अंश (प्रतिशत)
(1)	पूर्वोत्तर एवं विशेष दर्जा प्राप्त राज्य (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश जम्मू और कश्मीर)	90	10
(2)	अन्य सभी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश	75	25

9.2 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के मध्य केन्द्रीय अंश का आवंटन अन्तरिम रूप से उनकी शहरी गरीब जनसंख्या की व्याप्ति पर किया जायेगा तथापि अवशोषण क्षमता (गरीबी उपशमन योजनाओं के तहत निधियों के उपयोग के पूर्व चलन पर आधारित) और विशेष अपेक्षाओं/आवश्यकताओं को भी, कार्यकाल के दौरान राज्यों द्वारा भेजी गई राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुये विचार किया जायेगा।

9.3 मिशन निदेशालय द्वारा सम्पूर्ण भारत हेतु निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर ही अन्तरिम तौर पर राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के वास्तविक भौतिक लक्ष्यं तय कर दिये जायेंगे। इन्हीं लक्ष्यों के अनुरूप राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों की प्रगति की निगरानी की जायेगी।

9.4 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के केन्द्रीय अंश का निर्गम दो किस्तों में सीधे राज्य मिशन प्रबंधन इकाईयों के खातों में किया जायेगा। राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को केन्द्र द्वारा दूसरी किस्त का आवंटन तभी होगा जबकि वे निर्धारित मानकों को पूर्ण करते हुए सामान्य वित्तीय नियमों के अनुरूप उपयोग प्रमाण पत्र (यू.सी.) जमा करने के साथ-साथ पूर्व आवंटित केन्द्रीय राशि के सापेक्ष अपने अंश को जारी कर चुके होंगे। राज्यों के अंशदान को छोड़कर बची हुई समस्त राशि को राज्य मिशन प्रबंधन इकाई (एसएमएमयू) द्वारा नगर मिशन प्रबंधन इकाईयों (सीएमएमयू) को उनके लिए निर्धारित लक्ष्यों अथवा प्राप्त परियोजनाओं के अनुरूप ही जारी किया जायेगा।

9.5 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत जारी किये गये धन की सामयिक समीक्षा की जायेगी। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) के अन्तर्गत निधियों के बेहतर उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु केन्द्रीय अप्रयुक्त राशि, जो कि राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा न करने के कारण जारी न किया जा सका हो, बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को चालू वर्ष की चौथी तिमाही में उनकी संपादन क्षमता एवं अतिरिक्त राशि की मांग को ध्यान में रखते हुए आवंटित किया जा सकेगा।

9.6 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के मिशन निदेशालय द्वारा समय-समय पर राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को केन्द्रीय अंश के आवंटन का घटक वार निर्दर्शी व्यौरा दिया जायेगा ताकि एन.यू.एल.एम. के सभी घटकों की संतुलित व्यापि सुनिश्चित हो सके और उपलब्ध धन का बेहतर उपयोग किया जा सके। राज्यों को यह सुविधा प्राप्त होगी कि वे एन.यू.एल.एम. के मिशन निदेशालय तथा हूपा मंत्रालय की अनुमति से अपनी जरूरतों के अनुसार योजना के घटकों के मध्य निधि का अंतर-समायोजन कर सकें।



## शहरी निराश्रितों हेतु आश्रय योजना ( एसयूएच )

- 10.1 इस योजना का प्रमुख उद्देश्य शहरी समाज के वर्ग को मूलभूत सुविधाओं सहित आश्रय उपलब्ध कराना है। ये आश्रय, शहरी निराश्रितों के लिए स्थायी तौर पर हर मौसम में चौबीसों घण्टे 24X7 उपलब्ध होंगे। प्रत्येक एक लाख की शहरी आबादी पर यह व्यवस्था की जायेगी कि कम से कम 100 लोगों वाले स्थायी सामुदायिक आश्रय अवश्य उपलब्ध हों। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रत्येक आश्रय स्थल 50 से 100 लोगों की आवश्यकता पूर्ति करेगा।
- 10.2 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहरों को और अन्य शहरों और कस्बों को भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार चिह्नित जहां सामाजिक, ऐतिहासिक या महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हों।
- 10.3 प्रत्येक आश्रय स्थल के नियोजन के तहत प्रति व्यक्ति न्यूनतम 50 वर्गफुट या 4.645 वर्ग मीटर या लगभग 5 वर्ग मीटर स्थान की व्यवस्था की जायेगी।
- 10.4 आश्रय स्थलों में सम्मानजनक, मानव वास हेतु मूलभूत सुविधाएं जैसे पेयजल, सफाई व्यवस्था, बिजली, रसोईघर, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इन आश्रयों का सम्पर्क निकटतम अंगनवाड़ी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, शिशु कल्याण सुविधा केन्द्रों तथा अन्य सामाजिक सहयोग योजनाओं आदि से आवश्यक हो।
- 10.5 अधिकारिता के साथ सम्बद्ध: आश्रय स्थल सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न अधिकारिताओं के प्रावधानों, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली आदि के अभिसरण एवं उपभोग के स्थल होने चाहिये। समस्त निराश्रितों का आश्रय स्थल में विभिन्न योजनाओं तथा सरकारी कार्यक्रमों के तहत प्राथमिकता दी जानी चाहिये क्योंकि निराश्रित लोग निवास एवं जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में बहुत सी मूलभूत सेवाओं के उपभोग से वंचित रह जाते हैं।
- 10.6 आश्रय स्थलों की अवस्थिति: जहां तक व्यवहार्य हो आश्रय स्थलों का निर्माण निराश्रित सघनता वाले क्षेत्रों एवं कार्य स्थलों के समीप किया जाना चाहिए। इनकी अवस्थिति ऐसी होनी चाहिए जहां सामान्यतः निर्धनतम लोग एकत्र होते हों जैसे की रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड/डिपो, थोक बाजार व मण्डियां आदि। सार्वजनिक, अर्द्धसार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, औद्योगिक एवं मनोरंजन स्थलों में ऐसे आश्रयों के निर्माण हेतु अनुमति के लिये नगर विकास योजना निरूपण एवं क्रियान्वयन ( यूडीपीएफआई ) के दिशा निर्देशों तथा मास्टर प्लान में उपयुक्त संशोधन किये जाने चाहिए।
- 10.7 आश्रय स्थलों की रूपरेखा: जहां कहीं भी मौजूदा अवस्थापना/सार्वजनिक भवन का उपयोग इस हेतु किया जा रहा हो, उसमें सेवाओं तथा स्थान की आवश्यकतानुसार, नवीकरण तथा संवर्धन किया जाना चाहिए। स्थायी शरणालयों का निर्माण कंक्रीट अथवा टिकाऊ और सर्वग रक्षित वैकल्पिक विन्यासों/सामग्री से किया जाना चाहिए। राज्य सरकारें अल्प लागत और उर्जाक्षम भवनों के निर्माण हेतु अभिनव रूपरेखा को अपनाये जाने को प्रोत्साहित करेंगी।



10.8 प्रत्येक कार्यान्वयन संगठन एक आश्रय प्रबंधन समिति गठित करेगा। जिसके केयरटेकर और नामित सदस्यों का चयन आश्रय में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाना बेहतर होगा। यही आश्रय प्रबंधन समिति दैनिक प्रबंध, अनुरक्षण, साफ-सफाई एवं अनुशासन आदि के लिए उत्तरदायी होगी।

10.9 प्रत्येक आश्रय का प्रबंध एक पूर्णकालिक स्टॉफ/टीम द्वारा किया जायेगा जिसमें एक फील्ड अधिकारी (संयोजक, सुचारू संचालन निरीक्षण, सरकारी इन्टरफेस) एक गृह प्रबंधक (रसोई घर प्रबंधक, अभिलेख अनुरक्षण, विवाद समाधान आदि) एक आश्रय वासियों का केयरटेकर और एक चौकीदार होगा। यह स्टाफ सरकारी भी हो सकता है और नहीं भी, और इन्हें आश्रय चला रहीं एजेंसियों/संगठनों से भी चुना जा सकता है।

10.10 गरीबों के लिए उचित मूल्य पर स्वच्छ एवं स्वास्थ्यवर्धक भोजन की उपलब्धता हेतु राज्य सरकार की एजेंसियों अथवा निजी एजेंसियों के माध्यम से सामुदायिक किचन का संचालन किया जायेगा। इसमें लाभार्थियों के स्वैच्छिक सहयोग को बढ़ावा दिया जायेगा ताकि उनमें स्वामित्व की भावना उपजे।

10.11 **एसयूएच के लिए वित्त पोषण पद्धति:** आश्रयों के निर्माण हेतु लागत का 75 प्रतिशत भारत सरकार देगी तथा शेष 25 प्रतिशत का अंशदान राज्य सरकारों द्वारा किया जायेगा। विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के सन्दर्भ में (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड) यह अनुपात 90:10 का होगा। अपने अंशदान के रूप में आश्रयों हेतु भूमि उपलब्ध कराना राज्य सरकारों का दायित्व होगा।

10.12 आश्रय के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु केन्द्र सरकार सभी राज्यों के प्रत्येक आश्रय को 5 वर्गों तक उनकी स्थित के अनुरूप संचालन एवं अनुरक्षण लागत का 75 से 90 प्रतिशत तक प्रदान करेगी।

10.13 लाभार्थियों में प्रतिबद्धता/जिम्मेदारी का भाव पैदा करने हेतु नाममात्र किराये के रूप में शहरी निराश्रितों से उनकी आय अनुसार आय का 1/10 या 1/20 भाग एकत्रित किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग सुविधाओं के अनुरक्षण में किया जायेगा। जो लोग किराया अदायगी में सक्षम नहीं होंगे उन्हें इससे पूर्णतः छूट प्रदान की जायेगी।

## अभिनव एंव विशिष्ट परियोजनाएं

11.1 यह घटक अभिनव परियोजनाओं के रूप में की जाने वाली नई पहलों को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित करेगा। इसके अन्तर्गत ऐसे प्रयत्न होंगे जो अपनी प्रकृति में अप्रणी, सार्वजनिक निजी सामुदायिक भागीदारी (पी.पी.सी.पी.) के माध्यम से शहरी आजीविका के स्थायी दृष्टिकोण को उत्प्रेरित करने वाले हों और शहरी गरीबी पर आपेक्षित प्रभाव डालने वाली सुनिश्चित तकनीक का प्रदर्शन करते हों। ये परियोजनाएं सतत एवं दीर्घकालिक आजीविका अवसरों का सृजन करने वाली कार्यनीति का प्रदर्शन करने वाली होनी चाहिए और शहरी गरीबों के संगठनों को आच्छादित करने वाली, अभिनव कौशल विकास कार्यक्रम का निरूपण एंव क्रियान्वयन करने वाली, तकनीकी, विपणन क्षमता संवर्द्धन आदि से संबंधित अथवा इनके संयोजन वाली अवश्य होनी चाहिये। अभिनव/विशेष परियोजनाओं का संचालन, सामुदायिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, अर्द्ध सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्रों, औद्योगिक संघों, सरकारी विभागों/एजेन्सियों, स्थानीय नगर निकायों, राष्ट्रीय/राज्य/नगर स्रोत केन्द्रों या अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ भागीदारी के आधार पर किया जायेगा।

11.2 इस घटक के लिए कुल केन्द्रीय निधि के 5 प्रतिशत अंश का उपयोग किया जायेगा। ये घटक पूर्णतः केन्द्रशासित होगा और इसके लिए किसी प्रकार के राजकीय अंश की आवश्यकता नहीं होगी। एनयूएलएम के किसी भी घटक को आच्छादित करने के प्रस्तावों वाली विशेष परियोजनाओं का क्रियान्वयन सीधे राष्ट्रीय मिशन निदेशालय (एनएमडी) द्वारा किया जायेगा।



## प्रशासन एंव अन्य व्यय ( ए एंड ओई )

12.1 एन.यू.एल.एम. के तहत आधारित कुल धन के 2 प्रतिशत का उपयोग केन्द्रीय/राज्य/नगर स्तर पर प्रशासनिक एंव अन्य व्ययों हेतु किया जायेगा, जिसमें निगरानी, विकास और अभिलेखों के अनुरक्षण एम.आई.एस. ई-ट्रैकिंग, मूल्यांकन तथा अन्य गतिविधियों के व्यय शामिल होंगे।

## सूचना, शिक्षा एंव संचार ( आई.ई.सी. )

12.2 एन.यू.एल.एम. के तहत आवंटन के 3 प्रतिशत का उपयोग केन्द्रीय/राज्य/नगर स्तर पर आई.ई.सी. सूचना, शिक्षा और संचार के प्रयोजन हेतु किया जाएगा।



## एन.यू.एल.एम. प्रशासन और मिशन संरचना

13.1 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की एक त्रिस्तरीय परस्पर निर्भर संरचना होगी। संरचना के शीर्ष पर भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के अधीन एक स्वतंत्र संस्था के रूप में राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई होगी जिसका कार्यभार एक मिशन निदेशक के पास होगा, जो कि सीधे सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन के प्रति उत्तरदायी होगा। जब तक ऐसी स्वतंत्र संस्था निर्मित नहीं हो जाती तब तक एन.यू.एल.एम. समर्पित कार्यकर्ताओं वाले ढांचे के सहयोग से आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के एक कार्यक्रम के रूप में संचालित होगा। राज्य स्तर पर एक राज्य मिशन प्रबंधन इकाई होगी। जो एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करेगी जिसका कार्यभार मिशन निदेशक के पास होगा और जो सचिवालय के नगर पालिका से सम्बंधित विभाग को सूचित करेगा, जो कि आजीविका वृद्धि कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होता है। नगर स्तर पर प्रत्येक एन.यू.एल.एम. शहर में एक नगर मिशन प्रबंधन इकाई (सीएमएमयू) का गठन किया जायेगा जो कि पूर्णतः राज्य मिशन प्रबंधन इकाई के निर्देशन में कार्य करेगी।

13.2 केन्द्र राज्य तथा नगर स्तर पर तकनीकी सलाहकार समूहों (टीएजी) का गठन किया जायेगा जिसमें कौशल प्रशिक्षण तथा आजीविका विशेषज्ञ, वितीय समावेशन विशेषज्ञ, सामाजिक संगठन विशेषज्ञ, क्षमता संवर्धन विशेषज्ञ, उद्योग संघों के प्रतिनिधि आदि होंगे। एन.यू.एल.एम. हेतु राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूहों के सदस्यों तथा अध्यक्ष का नामांकन आवास और शहरी गरीबी उपशमन के मंत्री द्वारा किया जाएगा। राज्य तकनीकी सलाहकार समूहों के सदस्यों तथा अध्यक्ष का चुनाव राज्य के मुख्यमंत्री/केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया जायेगा और इसमें हूपा मंत्रालय द्वारा नामांकित दो व्यक्ति भी होंगे। शहर तकनीकी सलाहकार समूहों के गठन हेतु राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा उपयुक्त दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे।

### राष्ट्रीय मिशन प्रबंध इकाई (एन.एम.एम.यू.)

13.3 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) की एक शासी परिषद् होगी जिसकी अध्यक्षता आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के मंत्री करेंगे। एक कार्यकारी समिति (ई.सी.) होगी जिसकी अध्यक्षता हुपा सचिव द्वारा की जायेगी। शासी परिषद् नीति निर्धारक होगी जो कि राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मिशन की समग्र नीति एवं दिशा तय करेगी। यह मिशन की प्राथमिकतायें निर्धारित करेगी और समग्र विकास की समीक्षा करेगी। शासी परिषद् का गठन निम्नलिखित रूप से होगा:-

क्रम संख्या	पदनाम	सदस्यता
1	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्री	अध्यक्ष
2-4	अध्यक्ष द्वारा नामांकित शहरी विकास/स्थानीय स्वशासन/एमए के (x3) राज्य मंत्री (रोटेशन के आधार पर)	सदस्य
5	सदस्य (शहरी विकास) योजना आयोग	सदस्य
6	सदस्य (श्रम एवं रोजगार), योजना आयोग	सदस्य



क्रम संख्या	पदनाम	सदस्यता
7	सचिव, शहरी विकास	सदस्य
8	सचिव, ग्रामीण विकास	सदस्य
9	सचिव, मानव स्रोत विकास	सदस्य
10	सचिव, श्रम एवं रोजगार	सदस्य
11	सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	सदस्य
12	सचिव, महिला एवं बाल विकास	सदस्य
13	सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	सदस्य
14	प्रधानमंत्री के कौशल विकास सलाहकार	सदस्य
15	डिप्टी गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग मामलों के प्रभारी	सदस्य
16	अध्यक्ष राष्ट्रीय कौशल विकास निगम बोर्ड	सदस्य
17-19	अध्यक्ष द्वारा प्रब्लेम आजीविका विशेषज्ञ/नागरिक संगठनों/उद्योग प्रतिनिधियों में से नामित तीन व्यक्ति	सदस्य
20	सचिव, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	सदस्य-संयोजक
21	अध्यक्ष द्वारा सहयोजित कोई अन्य व्यक्ति	सदस्य

13.4 कार्यकारी समिति (ईसी) का गठन भारत सरकार के हूपा मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में किया जायेगा जिसका प्रमुख कार्य मिशन के कार्यकलापों की निगरानी करना होगा। कार्यकारी समिति विभिन्न मिशनों, विभागों और संस्थाओं के मध्य इसकी गठन व्यवस्था के माध्यम से सरल कार्यक्षम संयोजन सुनिश्चित करेगी। कार्यकारी समिति का गठन निम्नलिखित प्रकार से होगा:-

क्रम संख्या	पदनाम	सदस्यता
1	सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन	अध्यक्ष
2	सचिव, शहरी विकास अथवा उनका प्रतिनिधि	सदस्य
3	सचिव, वित्तीय सेवाएं, वित्त मंत्रालय या उनका प्रतिनिधि	सदस्य
4	भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर या उनका प्रतिनिधि	सदस्य
5	अध्यक्ष भारतीय बैंक संघ	सदस्य
6	सचिव, ग्रामीण विकास या उनका प्रतिनिधि	सदस्य
7	सचिव, श्रम एवं रोजगार या उनका प्रतिनिधि	सदस्य
8	सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम या उनका प्रतिनिधि	सदस्य
9	सचिव, विद्यालय शिक्षा विभाग या उनका प्रतिनिधि	सदस्य



## राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

क्रम संख्या	पद	सदस्यता
10	सचिव, महिला एवं बाल विकास या उनका प्रतिनिधि	सदस्य
11	सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता या उनका प्रतिनिधि	सदस्य
12-13	वरिठ सलाहकार (शहरी विकास) और (श्रम एवं रोजगार), योजना आयोग	सदस्य
14	मिशन निदेशक (जेएनएनयूआरएम), आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	सदस्य
15	संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	सदस्य
16-17	राज्य सचिव शहरी विकास/स्थानीय स्वशासन/एमए के (x3) रोटेशन आधार पर	सदस्य
18	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम	सदस्य
19-20	हूपा मंत्री द्वारा नामित प्रख्यात आजीविका विशेषज्ञ/नागरिक संगठनों/उद्योग प्रतिनिधियों में से व्यक्ति (x2)	सदस्य
21-23	अध्यक्ष द्वारा नामित तीन नगर आयुक्त, रोटेशन के आधार पर	सदस्य
24	मिशन निदेशक (एनयूएलएम आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय)	संयोजक-सदस्य
25	अध्यक्ष द्वारा सहयोजित कोई भी अन्य सदस्य	सदस्य

13.5 एन.यू.एल.एम. एक स्वतंत्र संस्था के रूप में गठित किया जायेगा जिसकी सहायता हेतु राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई (एन.एम.एम.यू.) होगी। यह इकाई पूर्णतः मिशन निदेशक की देखरेख में कार्य करेगी। राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई एन.यू.एल.एम. के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करेगी। मिशन निदेशक की सहायता हेतु दो निदेशक, चार उप सचिव, पांच अनुभाग अधिकारी और छः सहायकों, अन्य अधीनस्थ स्टाफ और कम से कम 10 सदस्यों वाला तकनीकी सहयोगियों का समूह होगा।

13.6 एन.एम.एम.यू. का कार्य, पर्याप्त स्टॉफ युक्त राज्य मिशन प्रबंधन इकाईयों (एसएमएमयू) और नगर प्रबंधन इकाईयों (सीएमएमयू) का गठन करने में सहयोग प्रदान करना और इनके परिप्रेक्ष्य में योजनाओं को तैयार करना (जैसे राज्य शहरी गरीबी उपशमन कार्यनीति) शहरी आजीविका विकास योजना, एन.यू.एल.एम. के तहत दिशा-निर्देशों को तैयार करना, एन.यू.एल.एम. के कार्यान्वयन की निगरानी करना, शहरी निराश्रितों के लिये आश्रयों के निर्माण हेतु सुविधा उपलब्ध कराना और अन्य मिशनों/मंत्रालयों/विभागों/उद्योग संघों के साथ संपर्क स्थापित करके राष्ट्रीय/राज्य/नगर स्तर पर अभिसरण क्रिया हेतु नये क्षेत्रों का पता लगाना होगा।



## राज्य मिशन प्रबंध इकाई (एसएमएमयू)

13.7 राष्ट्रीय आजीविका मिशन के क्रियान्वयन के राज्य स्तरीय प्रबंधन हेतु एक द्विस्तरीय व्यवस्था होगी जिसमें एक शासी परिषद और एक कार्यकारी समिति होगी। राज्य स्तरीय शासी परिषद की अध्यक्षता राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा और कार्यकारी समिति की अध्यक्षता राज्य के प्रमुख सचिव द्वारा की जायेगी।

13.8 राज्य स्तरीय शासी परिषद का गठन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा:-

क्रम संख्या	पदनाम	सदस्यता
1	मुख्यमंत्री	अध्यक्ष
2	वित्त मंत्री	उपाध्यक्ष
3	स्थानीय नगर निकायों से संबंधित शहरी विकास/ स्वशासन/नगरीय मामलों/प्रशासन के मंत्री	सदस्य
4	ग्रामीण विकास मंत्री	सदस्य
5	श्रम एवं रोजगार मंत्री	सदस्य
6	उद्योग मंत्री	सदस्य
7	स्वास्थ्य मंत्री	सदस्य
8	तकनीकी शिक्षा मंत्री	सदस्य
9	मुख्य सचिव	सदस्य
10	राज्य अग्रणी बैंक अधिकारी	सदस्य
11	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
12-13	स्थानीय नगर निकायों के प्रतिनिधि मेयर/अध्यक्ष (2)	सदस्य
14-16	प्रख्यात आजीविका विशेषज्ञ/नागरिक संगठनों/उद्योग संघ के (3) प्रतिनिधि	सदस्य
17	एनयूएलएम के प्रभारी सचिव/प्रधान सचिव	संयोजक सदस्य
18	अध्यक्ष द्वारा सहयोजित कोई भी अन्य व्यक्ति	सदस्य

13.9 कार्यकारी समिति का गठन निम्नलिखित रूप से होगा:-

क्रम संख्या	पदनाम	सदस्यता
1	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2	प्रभारी सचिव/प्रधान सचिव स्थानीय नगर निकायों	सदस्य
3	प्रभारी सचिव/प्रधान सचिव नगर विकास/आवास विभाग	सदस्य
4	सचिव वित्त विभाग	सदस्य



## राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

प्रधानमंत्री के द्वारा उत्तरदायी होने वाली अधिकारी

क्रम संख्या	पद	सदस्यता
5	सचिव, ग्रामीण विकास	सदस्य
6	सचिव, श्रम एवं रोजगार	सदस्य
7	सचिव, सामाज कल्याण	सदस्य
8	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	सदस्य
9	सचिव, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
10	सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	सदस्य
11	सचिव, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण	सदस्य
12	प्रभारी सचिव, प्राथमिक शिक्षा	सदस्य
13-14	राज्य अग्रणी बैंक अधिकारी तथा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक का अध्यक्ष	सदस्य
15	राज्य प्रतिनिधि भारतीय रिजर्व बैंक	सदस्य
16	उद्योग प्रतिनिधि	सदस्य
17-19	स्वयं सहायता समूहों और उनके संघों के तीन प्रतिनिधि	सदस्य
20	राज्य मिशन निदेशक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	सदस्य
21	राज्य अधिकारी तकनीकी शिक्षा/श्रम/उद्योग	सदस्य
22	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य
23	राज्य मिशन निदेशक एनयूएलएम	सदस्य-संयोजक
24	अध्यक्ष द्वारा सहयोजित कोई अन्य व्यक्ति	सदस्य

13.10 शहरी आश्रयहीनों हेतु आश्रयों का निरूपण, निर्माण तथा संचालन नगर निकायों द्वारा अथवा अन्य संस्थाओं, जिनमें कि राज्य सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त निजी संस्थाएं शामिल हों, द्वारा किया जायेगा। एस.यू.एच. के अन्तर्गत स्वीकृत उपयुक्त एवं व्यवहार्य योजनाओं में से प्रत्येक की जांच पड़ताल राज्य कार्यकारी समिति द्वारा की जायेगी।

13.11 राज्य शहरी आजीविका मिशन का गठन एक संस्था के रूप में किया जायेगा और इसकी सहायता हेतु राज्य मिशन प्रबंधन इकाई (एस.एम.एम.यू.) होगी जो राज्य में मिशन के क्रियान्वयन और अन्य गरीबी उपशमन कार्यक्रमों की निगरानी करेगी। राष्ट्रीय एवं राजकीय मिशनों के मध्य एक प्रतीकात्मक संबंध होगा। शहरी आजीविका एवं गरीबी उपशमन क्षेत्रों से संबंधित ज्ञान तथा सेवाओं का दोनों सह उपयोग कर सकेंगे।

13.12 राज्य मिशन प्रबंधन इकाई की अध्यक्षता एक मिशन निदेशन करेगा जिसकी सहायता के लिए कौशल तथा आजीविका, क्षमता संवर्धन, वित्त एवं प्रशासन तथा लघु उद्यमों से संबंधित प्रभारी कम से कम 4 परियोजना अधिकारी होंगे। राज्य मिशन को कार्यात्मक स्वायत्ता प्राप्त होगी और ये पूर्णतः राज्य के सचिव/प्रधान सचिव के तहत कार्य करेगा जो राज्य में मिशन के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगा।



13.13 राज्य इकाई आवश्यकतानुसार सामाजिक संगठन, संस्था विकास, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, सूक्ष्म वित्त विकास, आजीविका विकास, कौशल प्रशिक्षण तथा लाभकारी रोजगारों में नियोजन, महिला, संचार, एम.आई.एस. निरीक्षण तथा मूल्यांकन, मानव स्रोत, वित्त एवं प्रशासन आदि से संबंधित विशेषज्ञों को अपने साथ शामिल कर सकेगी।


13.14 राज्य मिशन प्रबंधन इकाई के तहत एक दक्ष प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) कक्ष होगा जो ऑनलाइन निगरानी का कार्य करेगा। राज्य मिशन प्रबंधन इकाई (जेएनएनयूआरएम) तथा (आरएवाई) की कार्यक्रम प्रबंधन इकाईयों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यक्रमों के अभिसरण को सुनिश्चित करेगी।

13.15 राज्य मिशन प्रबंधन इकाई का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के मध्य सहयोग को सुनिश्चित कर अभिसरण की गतिविधियों को सुसाध्य बनायेगी जिससे कि एन.यू.एल.एम. और अन्य कार्यक्रमों का अधिकतम लाभ उठाया जा सके। यह विभिन्न राष्ट्रीय/क्षेत्रीय और राजकीय स्रोत संस्थानों की सेवाओं का प्रयोग करेगी, ताकि मिशन कार्यक्रम के विभिन्न घटकों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके। यह एन.यू.एल.एम. की नगर स्तरीय इकाईयों के मध्य उचित तालमेल/समन्वय को भी सुनिश्चित करेगी।

### शहर मिशन प्रबंधन इकाई (सीएमएमयू)

13.16 नगर स्तर पर एन.यू.एल.एम. का प्रबंधन एक कार्यकारी समिति द्वारा किया जायेगा जिसकी अध्यक्षता नगर आयुक्त द्वारा की जायेगी। इस कार्यकारी समिति का गठन निम्नलिखित तरीके से किया जायेगा:-

क्रम संख्या	पदनाम	सदस्यता
1	नगर आयुक्त	अध्यक्ष
2	प्रभारी अधिकारी एन.आर.एल.एम.	सदस्य
3	प्रभारी अधिकारी-उद्योग	सदस्य
4	अधिकारी (प्रभारी) आदर्श रोजगारयोग्य कौशल	सदस्य
5	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
6	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
7	जिले में नियुक्त वरिष्ठतम लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता	सदस्य
8	प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा के लिए उत्तरदायी वरिष्ठ जिला स्तरीय अधिकारी	सदस्य
9	जिला आपूर्ति अधिकारी	सदस्य
10-11	बैंकों के (2) प्रतिनिधि	सदस्य
12-13	स्वयं सहायता समूहों और उनके संघों के (2) प्रतिनिधि	सदस्य
14	एनयूएलएम का नगर परियोजना अधिकारी	संयोजक
15	अध्यक्ष द्वारा सहयोजित कोई भी अन्य व्यक्ति	सदस्य



13.17 एन.यू.एल.एम. के तहत आने वाले आजीविका घटकों के अतिरिक्त कार्यकारी समिति, नगर स्तर पर नियोजन, एस.यू.एच. के अन्तर्गत सृजित सुविधाओं के क्रियान्वयन तथा प्रबंधन सहित, निकाय प्राधिकारियों, सामुदायिक प्रतिनिधियों, नागरिक संगठनों, संबद्ध विभागों तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी हेतु भी उत्तरदायी होगी।

13.18 एक दक्ष समर्पित नगरीय मिशन प्रबंधन इकाई का प्रबंधन नगर परियोजना अधिकारी (सीपीओ) द्वारा किया जायेगा। नगर परियोजना अधिकारी/नगर उपायुक्त/कार्यपालक अधिकारी की रैंक का अधिकारी होगा तथा इसकी सहायता हेतु एकाधिक सहायक परियोजना अधिकारियों सहित एक क्रियाशील विशेषज्ञों का समूह होगा जिसमें सामुदायिक संगठन, संस्था तथा क्षमता संवर्धन, सूक्ष्म ऋण, आजीविका, और लघु उद्यम क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। महानगरों में नगर परियोजना अधिकारी की सहायता हेतु कम से कम दो सहायक परियोजना अधिकारी अवश्य होंगे। कार्यात्मक विशेषज्ञों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जायेगा तथा ये नगर परियोजना अधिकारी के नेतृत्व में संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों/कार्यों को अंजाम देंगे। नगरीय मिशन प्रबंधन इकाई शहर की सामुदायिक संरचनाओं से संबद्ध होंगे। सी.एम.एम.यू. द्वारा सामुदायिक संगठनकर्ताओं को इन संबद्ध संरचनाओं को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रखा जायेगा। प्रत्येक सामुदायिक संगठनकर्ता कम से कम 3000 निर्धन परिवारों को कवर करेगा।

13.19 सी.एम.एम.यू. शहरों में एन.यू.एल.एम. के दिशा निर्देशानुसार मिशन कार्यक्रम हेतु उत्तरदायी होंगी, ये ही शहर में एन.यू.एल.एम. के तहत नगरीय आजीविका विकास योजनाओं के विकास और क्रियान्वयन के लिये तथा एन.यू.एल.एम. के प्रशासन एवं वित्त हेतु भी जिम्मेदार होंगी।

13.20 मिशन प्रबंधन इकाई द्वारा निरंतर राज्य तथा नगर स्तर पर शहरी गरीबों के लिए आजीविका एवं कौशल विकास की स्थायी दीर्घ कालिक संरचनाओं की परिकल्पना की जायेगी। अतः राज्यों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे राज्य एवं नगर स्तरीय मिशन प्रबंधन इकाईयों की नगरीय सामुदायिक विकास/गरीबी उपशमन योजनाओं हेतु दक्ष/समर्पित राज्य/निकाय कर्मचारियों की पूर्ति हेतु मानव स्रोत उपलब्ध करायेंगे। जिन्हें अनुबंधित विशेषज्ञों/पेशेवरों द्वारा सहायता प्रदान की जायेगी। जब-तक ऐसा संवर्ग गठित और क्रियाशील नहीं हो जाता तब-तक आगामी पांच वर्षों तक एन.यू.एल.एम. के प्रबंधन हेतु अनुबंध आधारित विभिन्न रिक्तियों के लिए धन उपलब्ध कराया जायेगा।



## निगरानी और मूल्यांकन

14.1 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को लक्ष्यों तथा उपलब्धियों के संदर्भ में मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमआरपी)/त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (क्यूआरपी) निर्धारित प्रारूप में भेजनी अनिवार्य होगी। इन मासिक त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों के अलावा एन.यू.एल.एम. के मिशन निदेशक द्वारा समय-समय पर उपयुक्त समझी जाने वाली प्रगति रिपोर्टों का निर्धारण किया जा सकेगा। सभी राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा एन.यू.एल.एम. के विभिन्न घटकों की प्रगति के संबंध में नगरीय मिशन प्रबंधन इकाइयों की उचित निगरानी और मासिक प्रगति हेतु समुचित प्रणाली का विकास किया जायेगा।

14.2 निर्धारित स्रोतों एवं गतिविधियों के भौगोलिक पैमानों और मानकों को एन.यू.एल.एम. द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा। एन.यू.एल.एम. के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की निगरानी हेतु एक दक्ष सूचना एवं तकनीकी दल (आई.टी.टीम) होगा। राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को अपनी प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी।

14.3 निगरानी कार्य के तहत, तृतीय पक्षीय मूल्यांकन, प्रभाव मूल्यांकन, शिक्षण और सामाजिक लेखा आदि तो सम्मिलित होगा ही किन्तु ये मात्र इन्हीं तक सीमित नहीं होगा। मिशन का मूल्यांकन इसके क्रियान्वयन के दौरान किया जाता रहेगा ताकि योजना के प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मध्यवर्ती सुधार किये जा सकें।

14.4 इन सभी गतिविधियों पर आने वाले व्यय को एन.यू.एल.एम. के प्रशासन एवं अन्य व्यय वाले घटक में शामिल किया जायेगा।

## कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश

15.1 भारत सरकार के आवास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय में स्थित मिशन निदेशालय द्वारा, मिशन के प्रभावशाली परिचालन, क्रियान्वयन और निगरानी हेतु समय-समय पर एन.यू.एल.एम. के प्रत्येक घटक अथवा उपघटक के लिए विस्तृत कार्यात्मक दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।



## राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

### संलग्नक:- राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों की सूची

क्र.सं.	बड़े राज्यों की सूची	छोटे राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों की सूची
1.	आन्ध्र प्रदेश	1. अरुणाचल प्रदेश
2.	असम	2. गोवा
3.	बिहार	3. हिमाचल प्रदेश
4.	छत्तीसगढ़	4. जम्मू और कश्मीर
5.	गुजरात	5. मणिपुर
6.	हरियाणा	6. मिजोरम
7.	झारखण्ड	7. मेघालय
8.	कर्नाटक	8. नागालैण्ड
9.	केरल	9. सिक्किम
10.	महाराष्ट्र	10. त्रिपुरा
11.	मध्य प्रदेश	11. उत्तराखण्ड
12.	उडीसा	12. अंडमान और निकोबार द्वीप
13.	पंजाब	13. चंडीगढ़
14.	राजस्थान	14. दादर और नागर हवेली
15.	तमिलनाडु	15. दमन और द्वीप
16.	उत्तर प्रदेश	16. लक्ष्यद्वीप
17.	पश्चिम बंगाल	17. पांडिचेरी
18.	दिल्ली	